फर्द अहकाम

राजकुमार बनाम रमेश

नाम न्यायालय

केस संख्या 135/2021

क्रम संख्या	दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से
		28/7/25 [illegible] पेश हुई। [illegible] [illegible] है। [illegible] 6/3/25 को पेश हो।
	6/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी / प्रति सं. 15 का प्रार्थना पत्र O7 R11 CPC स्वीकार किया जाकर वादपत्र का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार बाद तकमील शामिल दाखिल हो। सुनाया उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

निर्णय

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर जयपुर (द्वितीय)

वाद-पत्र संख्या ..../2021

1. राजकुमार वर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण वर्मा, जाति रैगर, उम्र-35वर्ष, निवा
का मौहल्ला मदरामपुरा सांगानेर जिला-जयपुर राजस्थान
2. रूपनारायण पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनाराण उम्र-52 वर्ष
3. मनोज पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनाराण उम्र-40 वर्ष
4. मुकेश पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनाराण उम्र-37 वर्ष
5. टीकम पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनाराण उम्र-30 वर्ष
निवासीयान-रैगरों का मौहल्ला मदरामपुरा सांगानेर जिला-जयपुर राजस्थान
6. श्रीमती मीरा पुत्री स्व. श्री लक्ष्मीनारायण पत्नी नानगराम जाति-रैगर
निवासी-ग्राम नायला कानोता जयपुर
7. श्रीमती विद्या पुत्री स्व. श्री लक्ष्मीनारायण पत्नी नानगराम जाति-रैगर
निवासी-ग्राम नायला कानोता जयपुर
8. श्रीमती सुगना पुत्री स्व. श्री लक्ष्मीनारायण पत्नी भंवरलाल जाति-रैग
निवासी-गोहन्दी रेनवाल जयपुर
9. श्रीमती तुलसी पुत्री स्व. श्री लक्ष्मीनारायण पत्नी दयाचन्द जाति-रै
निवासी-गोहन्दी रेनवाल जयपुर

बनाम

1. रमेश पुत्र स्व. श्री कुशला उम्र-50 वर्ष
2. उमराव पुत्र स्व. श्री कुशला उम्र-48 वर्ष
3. नवरतन पुत्र स्व. श्री कुशला उम्र-45 वर्ष
4. नन्दकिशोर पुत्र स्व. श्री कुशला उम्र-40 वर्ष
निवासीयान-रैगरो का मोहल्ला मदरामपुरा तहसील सांगानेर जय
5. श्रीमती सूरा देवी, पत्नी लालाराम, जाति-रैगरउम्र--51
जगतपुरा कच्ची बस्ती तहसील सांगानेर जयपुर
6. कजोड़ पुत्र स्व. श्री किशना उम्र-56 वर्ष
7. पूरण पुत्र स्व. श्री किशना उम्र-51 वर्ष
8. प्रहलाद पुत्र स्व. श्री किशना उम्र-49 वर्ष
9. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री किशना उम्र-48 वर्ष
निवासी-रैगरों का मौहल्ला मदरामपुरा सांगानेर जिला-
10. श्रीमती तीजा देवी पुत्री स्व. श्री किशना पत्नी, उम्र--5
वास महापुरा तहसील सांगानेर जयपुर

राजकुमार वर्मा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 135/2021
निर्णय दिनांक : 06.03.2025

उनवानी
राजकुमार वर्मा
बनाम
रमेश व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0
निर्णय

दिनांक 06.03.2025

वादी ने दावा बाबात् स्थायी निषेधाज्ञा, तकासमा, सीमांकन अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम वाके ग्राम मदरामपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित खाता संख्या 128 के खसरा नम्बरान 259, 301, 302, 303, 304, 306, 308, 309, 314/811, 317 कुल किता 10 कुल रकबा 1.6600 का पेश किया है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी 1908 सपठित धारा 151 व्यवहार संहिता प्रक्रिया पेश किया जिसका संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद पत्र ना तो वादीगण को प्रस्तुत करने का कोई हक् अधिकार था ना ही जनरल रूल सिविल के प्रावधानों के तहत वाद पत्र वादी संख्या – 02 लगायत 9 द्वारा हस्ताक्षरित व् शपथ पत्र द्वारा समर्थित है ना ही उनकी तरफ से बाबत पैरवी अधिवक्ता ही नियुक्त है तथा वाद पत्र पर एक मात्र वादी संख्या 01 के हस्ताक्षर है जो की राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार रिकार्डेड खातेदार नहीं होने से वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई हक् अधिकार नहीं था तो वादपत्र की पेशंबंदी ही विवादित है व् काज ऑफ एक्शन के अभाव में दावा मैंटेनबल नहीं है। वादीगण राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार रिकार्डेड खातेदार नहीं होने से बिना खातेदारी अधिकारों की घोषणा करायें व बिना राजस्व रिकोर्ड में नाम जुड़वायें वादीगण को वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, तकास्मा, सीमाकन लाने का हक् अधिकार नहीं होने से दावा मैंटेनबल नहीं है प्रार्थी/वादी ने श्रीमान के समक्ष वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, तकास्मा, सीमाकन अंतर्गत धारा 53 व् 188 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम 1955 व् 111 व् 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत वाके ग्राम मदरामपुरा भू अभिनिक्षे शिकारपुरा पटवार हल्का शिकारपुरा तह सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 128 के खसरा नंबरां 259, 301, 302, 303, 304, 306, 308, 309, 314/811, 317 कुल किता 10 कुल रकबा 1,6600 तथा खाता संख्या 247 के खसरा नंबर 305 बाबत प्रस्तुत किया है वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 247 के खसरा नंबर 305 को रिकॉर्ड अनुसार अकृषि सरकारी भूमि माना है जिस पर स्वयं के कथनानुसार वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 247 के खसरा नंबर 305 पर आवासीय कॉलोनी का सुर्जन हो चुका है अर्थात वादी के अभिकथनों के तर्ज पर जब वादग्रस्त भूमि खाता

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...की खसरा नंबर 305 कृषि भूमि नही है। तो उक्त के संबंध में राजस्व न्यायालय को ...का क्षेत्राधिकार नही होने से वादग्रस्त सम्पति के विवाद को सुनने का न्यायालय हाजा ...का प्राप्त नही है। इस प्रकार भूमि की किस्म कृषि भूमि नही है और वादग्रस्त भूमि ...अधिकार धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5 (24) के दायरे से बाहर हो गयी है। भूमि ...राज्य सरकार/ प्राधिकरण में निहित होकर सरकारी भूमि है। अतः वादी का वाद राजस्व न्यायालय ...के क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण संधारण योग्य नही है। इस प्रकार स्वयं वादी के वादपत्र से ...तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेष 7 नियम 11 (डी) के प्रावधानों के तहत विधि से वर्जित ...ऐसी सूरत में वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने के कारण क्षेत्राधिकारिता के अभाव में खारिज ...किये जाने योग्य है। वादीगण ने अपना वाद पत्र झूठे व् असत्य तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया ...वादी कथनानुसार वाद ग्रस्त भूमि खाता संख्या 247 के खसरा नंबर 305 राजस्व रिकॉर्ड में ...प्रतिवादी संख्या–16 के नाम दर्ज रही है वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 247 के खसरा नंबर 305 पर ...वादीगण को किसी प्रकार का लोकस स्टैंडी' (Locus Standi) प्राप्त नहीं हो सकता है। धारा 16 ...राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानानुसार ऐसी भूमि पर खातेदारी प्राप्ति हेतु दावा ...लाया जा सकता है। फलस्वरूप वादी को वादग्रस्त सम्पत्ति वावत किसी प्रकार का हक़ ...हुक व् टाईटल प्राप्त नहीं होने से वास्तविक कब्जाशुद्धा मालिक सम्पत्ति के खिलाफ़ वाद लाने ...का लोकस स्टैंडी (स्वबने ˚जंदकप) के अभाव में दावा मैंटेनबल नहीं है। लोकस स्टैंडी' (Locus ...Standi) के तहत केवल वे लोग जिनके अधिकार प्रभावित हुए है, अदालत में मामला दर्ज कर ...सकते हैं। वादीगण को लोकस स्टैंडी (LOCUS STANDI) प्राप्त नहीं होने से वादी को वाद लाने का ...कोई अधिकार नहीं है फलस्वरूप वाद पत्र मैंटेनबल नहीं है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि खाता ...संख्या 247 के खसरा नंवर 305 पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है बिना कब्जे के मांग के दावा ...मैंटेनवल नहीं है। वाद के अभिमतों से स्पस्ट है की वादीगण ने वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 247 के खसरा नंवर 305 वावत ना तो किसी प्रकार की मालिक सम्पत्ति अथवा दुरुस्ती की घोषणा चाहि है ना ही सम्पत्ति से कब्जा धारी पतिवादी संख्या 15 की बेदखली ही चाहि है जिसके अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र में पतिवादी संख्या 15 व 16 को अनावश्यक रूप से संयोजित किया है जिनके खिलाफ वाद मैंटेनवल नहीं है वाद पत्र पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण ग्राह्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या –15 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र निरस्त फरमाया जावे। अन्य न्याय सहायता जो प्रतिवादी के, हितकर हो दिलवाई जावे।

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का जवाब पेश किया जिसका सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थीगण / वादीगण सगे भाई बहिन है ओर वाद–पत्र की मद संख्या 01 व 02 में वर्णित आराजियात कृषि भूमि प्रार्थीगण / वादीगण के पिता के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दराज थी किन्तु उनके स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि प्रार्थीगण / वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दराज होने पर वादग्रस्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...ड्स एण्ड बाउन्ड्स के अनुसार तकारामा नहीं होने के कारण प्रार्थीगण / वादीगण की
...ादी संख्या 01 के द्वारा समस्त भाईयों व बहिनों की ओर से वाद पत्र मान्य न्यायालय
... पेश किया गया है। वादग्रस्त आराजियात भूमि के संबंध में प्रार्थीगण / वादीगण बाबत्
... एवं घोषणा हेतू वाद पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है ओर
.../वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके विधिक वारिसान की हैसियत
... के अनुसार ही वाद–पत्र पेश किया गया है। वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा तकास्मा
... एवं वादग्रस्त भूमि के संबंध में पेश किये जाने व खाता संख्या 247 के खसरा नम्बर
...जस्व रिकॉर्ड में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से होना स्वीकार है तथा शेष
...त होने से अस्वीकार है क्योंकि वादीगण के द्वारा वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजियात
... संबंध में ही तकास्मा सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी हेतू वाद पत्र पेश किया गया है इसलिए कृ
... के संबंध में तकास्मा सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान् न्यायालय को
...त है ओर श्रीमान् न्यायालय द्वारा ही वादग्रस्त आराजियात भूमि का बाई मिट्स एण्ड
...स के अनुसार विधिकवत् रूप से तकास्मा कर अलग अलग खाते कायम करने बाबत् वाद
...ा किया गया है। वादी के द्वारा वाद पत्र की मद सख्या 02 व 03 में वर्णित राजस्व भूमि
...ास्मा सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी के संबंध में वाद पत्र पेश किया गया है तथा खाता संख्या
...सरा नम्बर 305 राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 16 के नाम अमल दराज होने के कारण
...तिवादी संख्या 16 को पक्षकार संयोजित किया गया है ओर उक्त खाते के संबंध में वादी के
... तकास्मा नहीं चाहा गया है बल्कि स्वय के हक व अधिकार की वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध
... बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर ही तकास्में हेतू वाद पत्र पेश किया गया है। वादी
...ारा वाद पत्र की मद संख्या 02 व 03 में वर्णित राजस्व भूमि के तकास्मा सीमाज्ञान व
...रगढी के संबंध में वाद पत्र पेश किया गया है तथा खाता संख्या 247 खसरा नम्बर 305
...स्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 16 के नाम अमल दराज होने के कारण ही प्रतिवादी संख्या 16
... पक्षकार संयोजित किया गया है ओर उक्त खाते के संबंध में वादी के द्वारा तकास्मा नहीं चाहा
...। है बल्कि स्वंय के हक व अधिकार की वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में ही बाई मिट्स एण्ड
...उन्ड्स के आधार पर ही तकास्में हेतू वाद पत्र पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 15 जो कि
...र्जी आवंटन पत्र के आधार पर वादी के स्वामित्व व काबिज काश्त में जबरन अवैद्य कब्जा करने
...र उतारू होने के कारण प्रतिवादी संख्या 15 को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है ओर
...तिवादी संख्या 15 कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर वादीगण के स्वामित्व की भूमि को अवैध
...नेर्माण कर कब्जा करने पर आमादा होने व प्रतिवादी संख्या 19 से कुसंयोजन कर वादी की भूमि
में फर्जी व कुटरचित आवंटन पत्र के आधार पर कब्जा करने की कोशिश करने के कारण ही
वादीगण के द्वारा प्रतिवादी संख्या 15 को जब तक वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी व
तकास्मा नहीं हो जाता तब तक पाबन्द किये जाने हेतू प्रतिवादी संख्या 15 व अन्य प्रतिवादीगण
के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 15 के द्वारा फर्जी दस्तावेजों

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...वादी की वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य करने हेतु आमादा ...पक्षकार संयोजित किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 16 पड़ोसी सम्पत्ति का स्वामी ... एवं आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। ...पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण / वादीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार ...र प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज के आदेश प्रदान करें जो कि न्यायहित में अति आवश्यक है।

...वकील उभयपक्षों की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित ...0पी0सी0 पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 15 ने अपनी बहस में अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 में अंकित ...ोहराते हुये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। ...र्थी / वादीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 ... सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये अप्रार्थी / प्रतिवादी ...ा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 ...र किये जाने हेतु निवेदन किया।

...ावा पत्रावली, राजस्व रिकार्ड, प्रार्थी / प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम ...0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 व जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 ...0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का आधोपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षों का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादीगण ने वाद पत्र बाबत स्थायी ..., तकास्मा, सीमाकन अंतर्गत धारा 53 व् 188 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम 111 व् 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत वाके ग्राम मदरामपुरा भू अभिलेख ... शिकारपुरा पटवार हल्का शिकारपुरा तह सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या खसरा नंबरां 259, 301, 302, 303, 304, 306, 308, 309, 314 / 811, 317 कुल किता 10 ...कबा 1,6600 तथा खाता संख्या 247 के खसरा नंबर 305 बाबत प्रस्तुत किया है वादी ने वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 247 के खसरा नंबर 305 को ...े अनुसार अकृषि सरकारी भूमि माना है जिस पर स्वयं के कथनानुसार वादग्रस्त भूमि खाता ... 247 के खसरा नंबर 305 पर आवासीय कॉलोनी का सुर्जन हो चुका है अर्थात वादी के कथनो के तर्ज पर जब वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 247 के खसरा नंबर 305 कृषि भूमि नहीं तो उक्त के संबंध में राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से वादग्रस्त ...त्ति के विवाद को सुनने का न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार भूमि किस्म कृषि भूमि नहीं है और वादग्रस्त भूमि राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा (24) के दायरे से बाहर हो गयी है। भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित होकर सरकारी ...मि है। इस प्रकार स्वयं वादी के वादपत्र से ही दावा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेष 7 नियम

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...के तहत विधि से वर्जित है। वादी कथनानुसार वाद ग्रस्त भूमि खाता संख्या ... नंबर 305 राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या-16 के नाम दर्ज रही है वादग्रस्त ... संख्या 247 के खसरा नंबर 305 पर वादीगण को किसी प्रकार का लोकस स्टैंडी' ... प्राप्त नहीं हो सकता है। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के ... ऐसी भूमि पर खातेदारी प्राप्ति हेतु दावा नहीं लाया जा सकता है। फलस्वरूप वादी ... सम्पत्ति बाबत किसी प्रकार का हक -हकूक व् टाईटल प्राप्त नहीं होने से वास्तविक ... मालिक सम्पत्ति के खिलाफ वाद लाने के लोकस स्टैंडी (Locus Standi) के अभाव में दावा नहीं है। लोकस स्टैंडी' (Locus Standi) के तहत केवल वे लोग जिनके अधिकार प्रभावित अदालत में मामला दर्ज कर सकते हैं। वादीगण को लोकस स्टैंडी (LOCUS STANDI) प्राप्त ... से वादी को वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है फलस्वरूप वाद पत्र मैंटेनबल नहीं है। ... का वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 247 के खसरा नंबर 305 पर किसी प्रकार का कब्जा बिना कब्जे के मांग के दावा मेंटेनबल नहीं है। वाद के अभिमतों से स्पस्ट है की वादीगण ग्रस्त भूमि खाता संख्या 247 के खसरा नंबर 305 बाबत ना तो किसी प्रकार की मालिक अथवा दुरुस्ती की घोषणा चाही है ना ही सम्पत्ति से कब्जा धारी प्रतिवादी संख्या 15 की ...नी ही चाही है राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार रिकार्डेड खातेदार नहीं होने से वादीगण को वाद करने का कोई हक् अधिकार नही है व् काज ऑफ एक्शन के अभाव में दावा मैंटेनबल नहीं ...जसके अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या -15 का प्रार्थना पत्र प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज जाने योग्य है।

अतः वकील प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 15 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 ...ब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, तकासमा, सीमांकन ...तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 111 व 128 राजस्थान भू ...जस्व अधिनियम वाके ग्राम मदरामपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ...थत खाता संख्या 128 के खसर नम्बरान 259, 301, 302, 303, 304, 306, 308, 309, 314/811, 17 कुल किता 10 कुल रकबा 1.6600 खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो

निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर